



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पिठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमोस्मिन् गण्डिमान नर)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 799

दापर दिनांक 03/10.2025 निर्णय दिनांक 03/10.2025

शामि सेर विट-2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान.	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
15	रिहोडीका	382	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 के आदेशानुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक इण्डिया में मर्ज किया गया। जो 01 अप्रैल 2017 से लागू हुआ।	वर्तमान प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज भूरा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम रिहोडीका प्र.सं. हिंगोरिया खाता संख्या 382 में वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को शुद्ध किया जाकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

पटवार हल्का-कपास, जिला-चितौड़गढ  
तह.कपासन, जिला-चितौड़गढ

हस्ताक्षर पिरदावर  
पटवार  
ILK  
04-10-25

तहसीलदार(गु.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चितौड़गढ